



राज. नं. एन. डब्ल्यू./एन. पी. 896

साधारण नं० डब्ल्यू पी०-४१

साधारण नं० एन. डब्ल्यू. पी. ४१

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 16 अगस्त, 1997

श्रावण 25, 1919 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1258/सतह-वि-1-1 (क) 27-1997

लखनऊ, 16 अगस्त, 1997

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 16 अगस्त, 1997 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1997 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 1997

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1997]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जाएगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के लिए

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 29  
सन् 1983 की  
धारा 16 का  
प्रतिस्थापन

2--उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 की धारा 16 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :--

"16--(1) राज्य सरकार मन्दिर के लिए एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी मन्दिर के अधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारी या अधिकारियों को, जैसा वह आवश्यक समझती है, नियुक्त कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों की सेवा की शर्तें जिसमें नियुक्ति के लिए अर्हताएं और उन्हें देय वेतन और भत्ते भी सम्मिलित हैं, ऐसे होंगे जैसे राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें :

परन्तु वेतन और सेवा की अन्य शर्तों के बारे में ऐसे अधिकारियों के अधिकार, उनके नियुक्ति के पश्चात् इस प्रकार परिवर्तित नहीं किये जायेंगे कि उनके लिए अलाभकर हों।"

आज्ञा से,  
रविन्द्र दयाल माथुर,  
प्रमुख सचिव।

No. 1258 (2)/XVII-V-1-1 (RA) 27-1997

Dated Lucknow, August 16, 1997

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shri Kashi Vishwanath Mandir (Sanshodhan) Adhiniyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 1997) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 16, 1997.

THE UTTAR PRADESH SRI KASHI VISHWANATH TEMPLE  
(AMENDMENT) ACT, 1997

[U.P. ACT No. 15 OF 1997]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN  
ACT

Further to amend the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple Act, 1983

IT IS HEREBY enacted in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple (Amendment) Act, 1997.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Substitution of section 16 of U. P. Act no. 29 of 1983

2. For section 16 of the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple Act, 1983, the following section shall be substituted, namely :—

"16. (1) The State Government shall appoint for the Temple Officers of the a Chief Executive Officer and may appoint such Temple other Officer or officers as it may consider necessary.

(2) The conditions of service, including the qualifications for appointment and the salary and allowances payable to the officers appointed under sub-section (1) shall be such as may be determined by the State Government :

Provided that the rights of such officers in respect of salary and other conditions of service shall not be varied to their his disadvantage after their appointment."

By order,  
R. D. MATHUR,  
Prमुख Sachiv.

सी० ए० ए० सी० ए० सी० 137 सी० वि० 10--(986)--1997-850 (से०)।